

**महत्वपूर्ण
तत्काल**



निर्वाचन भवन
58, अरेरा हिल्स भोपाल-462011
Email – mpsec@mp.gov.in
Ph.No. - 0755-2555527

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

क्रमांक-एफ-37/PN-01/2024/तीन/123

भोपाल, दिनांक 07/08/2024

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन)
जिला-समस्त
मध्य प्रदेश।

विषय : पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष-2024 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम (समय-अनुसूची)।

संदर्भ : आयोग का पत्र क्रमांक एफ-35/PN-01/2023/तीन/18-20, दिनांक 24/01/2023

1. कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। आयोग के संदर्भित पत्र के अनुक्रम में समस्त जिलों द्वारा पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची दिनांक 01 जनवरी, 2023 की संदर्भ तिथि के आधार पर तैयार कर उसका अंतिम प्रकाशन दिनांक 12 मई, 2023 को किया जा चुका है। मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम-14(4) एवं सहपठित नियम-18 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा दिनांक 12.05.2023 को पंचायतों की प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के आधार पर पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष-2024 सम्पन्न कराये जाने का निर्णय लिया गया है।
2. राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों में 31 जुलाई-2024 तक की स्थिति में रिक्त स्थानों (सीटों) की पूर्ति के लिये उप निर्वाचन, जिन ग्राम पंचायतों को आरक्षण से अपवर्जित किया गया है तथा जिन पंचायतों में गत आम निर्वाचन में किन्हीं कारणों से निर्वाचन नहीं हुआ है अथवा आयोग द्वारा निर्वाचन की कार्यवाही को शून्य घोषित किया गया है अथवा आयोग द्वारा किसी पद का निर्वाचन निरस्त किया गया है, अथवा आयोग द्वारा किसी पद को रिक्तियों में सम्मिलित करने हेतु निर्देशित किया गया हो अथवा रिटर्निंग आफिसर द्वारा किसी स्थान का मतदान प्रत्यादिष्ट किया गया हो, में निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये आयोग द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम, 28 के अंतर्गत निर्वाचन कार्यक्रम (समय-अनुसूची) का निर्धारण कर दिया गया है। यह कार्यक्रम संलग्न परिशिष्ट-एक में दिया गया है।
3. त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन-2024 सम्पन्न कराने हेतु जिलों से प्राप्त रिक्त पदों की जानकारी दिनांक 31 मार्च-2024 तक की स्थिति में अनन्तिम (Provisional) जानकारी परिशिष्ट-दो पर संलग्न है। कृपया उक्त रिक्त पदों की जानकारी को दिनांक 31 जुलाई-2024 तक की स्थिति में अनिवार्यतः वेरिफाई एवं अपडेट करना सुनिश्चित कर लें। अर्थात् दिनांक 31 जुलाई-2024 तक आपके जिले की पंचायतों में रिक्त समस्त पदों को अनिवार्यतः सम्मिलित करना सुनिश्चित करें।
4. मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम-28 के अंतर्गत यथास्थिति प्ररूप-2 या 3 में, ऐसी ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों एवं जिला पंचायतों के लिये निर्वाचन की सूचना जारी की जाए, जिनमें पंचों/सरपंचों/जनपद पंचायत सदस्यों/जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन होना है।
5. निर्वाचन की सूचना (प्ररूप-2 या 3) के साथ –
 - (i) नियम-29क के अंतर्गत प्ररूप-3क या 3ख में स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना,
 - (ii) नियम-23(1) की अपेक्षा के अनुसार मतदान केन्द्रों की सूची, का भी प्रकाशन किया जाये।

6. ऐसी पंचायतों/पदों के निर्वाचन की सूचना प्रकाशित न की जाए जिसके निर्वाचन की कार्यवाही किसी न्यायालयीन आदेश के अंतर्गत स्थगित की गई हो अथवा जिसके निर्वाचन न कराये जाने के संबंध में आयोग द्वारा पृथक्शः आदेश जारी किया गया हो ।
7. प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष-2024 में जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन के साथ-साथ सरपंच पद का भी निर्वाचन ई.व्ही.एम. से कराये जाने का निर्णय आयोग द्वारा लिया गया है। पंच पद का निर्वाचन पूर्व की भांति मतपत्र/मतपेटी से कराए जायेंगे।
8. निर्वाचन के संचालन की सभी कार्यवाहियाँ मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 तथा आयोग द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों के अनुसार की जाए ।
9. चुनाव में मतदाता को "इनमे से कोई नहीं (नोटा)" का विकल्प दिया जाये। इस हेतु मतपत्र एवं बैलेट यूनिट में अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात "इनमे से कोई नहीं (नोटा)" अंकित किया जाये और उसके सामने उसका प्रतीक (X) (गुणा का निशान कोष्टक रहित) भी दर्शाया जाए।
10. त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष-2024 में पंच/सरपंच/जनपद पंचायत सदस्य/जिला पंचायत सदस्य के पद हेतु नाम निर्देशन पत्र प्ररूप-4 में अभ्यर्थियों से प्राप्त किये जाये।
11. नाम निर्देशन पत्र शनिवार को भी प्राप्त किये जायेंगे।
12. निम्नलिखित निर्देशों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए :-
 1. पंच पद के प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ आयोग द्वारा विहित प्ररूप में एक घोषणा-पत्र एवं उसके साथ "घोषणा-पत्र का सार" तथा सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ एक शपथ-पत्र एवं उसके साथ "शपथ-पत्र का सार" प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
 2. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-36 में किये गये प्रावधानों के अनुसार पंचायत के शोध्यों की बकाया वसूली के संबंध में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम-निर्देशन पत्र के साथ पंचायत को देय समस्त शोध्यों का "अदेय प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 3. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 36(1)(गघ) में जोड़े गये विद्युत बिलों की बकाया वसूली के संबंध में किये गये प्रावधानों के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी या उसकी उत्तरवर्ती कम्पनियों को देय समस्त शोध्यों का "अदेय प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 4. त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी से यह अपेक्षा रहेगी कि वह नामनिर्देशन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शासन द्वारा निर्धारित विहित प्ररूप में जाति प्रमाणपत्र संलग्न करें। यदि अभ्यर्थी के पास नाम निर्देशन पत्र भरते समय जाति प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है तो अभ्यर्थी को इस वर्ग का सदस्य होने बाबत, जिसके लिये स्थान आरक्षित है, अपना जाति संबंधी शपथ पत्र नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने अथवा आरक्षित वर्ग का सदस्य होने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का नामनिर्देशन-पत्र निरस्त किया जायेगा।
 5. मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले प्ररूप, प्रपत्र और परिशिष्ट को समेकित करते हुए आयोग द्वारा "पी ओ बुकलेट" एवं "पी ओ लीफलेट" जारी की गई है। मतदान केन्द्रों पर अब पी ओ बुकलेट एवं पी ओ लीफलेट का प्रयोग किया जाये। जिन मतदान केन्द्रों पर केवल पंच का निर्वाचन होगा, वहाँ "पंच उपचुनाव बुकलेट" और "पंच उपचुनाव लीफलेट" का उपयोग किया जाये।

6. आयोग के पत्र क्रमांक एफ-38-01/2016/तीन/395, दिनांक 05/11/2016 द्वारा पंचायतों के निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (प्ररूप-8क, 8ख, 8ग, 8घ) में वर्णक्रम निर्धारण हेतु विहित प्रक्रिया के साथ अभ्यर्थी से उसके नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग प्राप्त करने के लिए परिशिष्ट-1 प्राप्त करने के निर्देश थे। आयोग के आदेश क्रमांक एफ-38-01/2016/तीन/328, दिनांक 02/07/2018 द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिए नवीन प्ररूप-4 निर्धारित किया गया है। नवीन प्ररूप-4 की कंडिका-18 में अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग प्राप्त किया जाना प्रावधानित किया गया है। नवीन नाम निर्देशन प्ररूप-4 का उपयोग किये जाने पर परिशिष्ट-1 (अंग्रेजी में नाम प्राप्त करना) और मिलानसूची (चेकलिस्ट) की आवश्यकता समाप्त हो गई है। अतः परिशिष्ट-1 और मिलान सूची का उपयोग अब नहीं किया जायेगा।
7. निर्वाचन की सूचना जारी किये जाने से लेकर निर्वाचन परिणाम की घोषणा किये जाने तक की समस्त प्रक्रियाएँ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित ऑन लाईन एप्लिकेशन **IEMS (Integrated Election Management System)** के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित करें।
13. निर्विरोध निर्वाचन के मामले में प्ररूप-24 में निर्वाचित होने की घोषणा की प्रति तथा सविरोध निर्वाचन के मामले में (मतपेटी से निर्वाचन होने की स्थिति में प्ररूप-20, 21, 22 एवं 23 में) या (ई.व्ही.एम. से निर्वाचन होने की स्थिति में प्ररूप-21क, 22क एवं 23क में) (जैसी भी स्थिति हो) की विवरणी की प्रति सुरक्षित रखी जाए, आवश्यकता होने पर आयोग को उपलब्ध कराई जाए।
14. निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत/निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड के क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है, जो निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि तक प्रभावशील रहेगी।
15. त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन से संबंधित संशोधन/आदेश/परिपत्र/निर्देश आयोग की वेबसाइट www.mplocalelection.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
16. कृपया इस पत्र की प्राप्ति की अभिस्वीकृति ई-मेल द्वारा भेजी जाए।

संलग्न :- परिशिष्ट-एक एवं दो।

(अभिषेक सिंह)

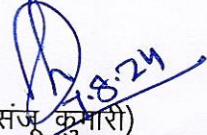
सचिव

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

पृ०क्रमांक-एफ-37 / PN-01 / 2024 / तीन / 124
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 07/08/ 2024

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, "मंत्रालय" वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, "मंत्रालय" वल्लभ भवन, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, गृह विभाग, "मंत्रालय" वल्लभ भवन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, 'मंत्रालय' वल्लभ भवन, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग, 'मंत्रालय' वल्लभ भवन, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, 'मंत्रालय' वल्लभ भवन, भोपाल।
7. सचिव (कार्मिक), मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल।
9. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
10. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
11. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
12. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम एवं राज्य स्तरीय एजेन्सी, भोपाल।
13. आयुक्त जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल, की ओर कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार हेतु अग्रेषित।
14. श्रमायुक्त इन्दौर मध्यप्रदेश।
15. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश भोपाल, की ओर मतपत्रों के मुद्रण की व्यवस्था हेतु अग्रेषित।
16. समस्त उप सचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
17. संयुक्त संचालक(वित्त) मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
18. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
19. स्टाफ आफिसर, राज्य निर्वाचन आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
20. लेखाधिकारी (बजट) मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल।
21. समस्त अनुभाग अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
22. आई.टी प्रभारी, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
23. स्थापना/निर्वाचन (स्टोर) प्रभारी मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
24. गार्ड फाईल।


(संजय कुमार)
उप सचिव

 मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग



परिशिष्ट-एक

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

हर वोट कीमती • हर निकाय महत्वपूर्ण

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 07/08/2024

क्रमांक-एफ-37/PN-01/2024/तीन/:: 122 मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा-9(2)(क) एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 28 की अपेक्षा अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग एतद्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष-2024 हेतु निम्नानुसार समय-अनुसूची (कार्यक्रम) विहित करता है :-

स.क्र.	कार्यवाही	नियम	निर्धारित तारीख	दिन और समय
1.	(i) निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करना	28.29	21/08/2024	प्रातः 10:30 बजे (बुधवार)
	(ii) स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन	29-क		
	(iii) मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन	23		
2.	नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख	28(क)	28/08/2024	प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक (बुधवार)
3.	नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा (जाँच)	28(ख)	29/08/2024	प्रातः 10:30 बजे से (गुरुवार)
4.	अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख	28(ग)	31/08/2024	अपराह्न 3:00 बजे तक (शनिवार)
5.	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना तथा निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन	38.39	31/08/2024	अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद (शनिवार)
6.	मतदान (यदि आवश्यक हो)	28(घ)	11/09/2024	प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक (बुधवार)
7.	मतगणना, सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा	28(ड), 28(च)		-
	(i) मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना (केवल पंच पद के लिए)	-	11/09/2024	(मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात्) (बुधवार)
	(ii) सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की विकासखण्ड मुख्यालय पर ई.व्ही.एम. से की जाने वाली मतों की गणना।	-	15/09/2024	प्रातः 8:00 बजे से (रविवार)
	(iii) पंच पद की मतदान केन्द्र पर की गई मतगणना का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा।	-	18/09/2024	प्रातः 10:30 बजे से (बुधवार)
	(iv) पंच पद की विकासखण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना, सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा।	-		
	(v) सरपंच एवं जनपद पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा।	-	15/09/2024	प्रातः 10:30 बजे से (रविवार)
	(vi) जिला पंचायत सदस्य पद के लिये मतों का विकासखण्ड स्तरीय सारणीकरण।	-		
	(vii) जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा।	-	18/09/2024	प्रातः 10:30 बजे से (बुधवार)

(अभिषेक सिंह)
सचिव
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष-2024 हेतु
रिक्त पदों की (दिनांक 31/03/2024 की स्थिति में)
जिलेवार अनन्तिम (Provisional) जानकारी

स.क.	जिला	उप निर्वाचन हेतु संभावित रिक्त पदों की संख्या			
		पंच	सरपंच	जनपद पंचायत सदस्य	जिला पंचायत सदस्य
1	श्यापुर	179	0	0	0
2	मुरैना	240	0	0	0
3	भिण्ड	82	0	0	0
4	ग्वालियर	10	0	0	0
5	दतिया	727	0	0	0
6	शिवपुरी	12	1	0	0
7	गुना	9	2	0	0
8	अशोकनगर	432	1	0	0
9	सागर	38	2	0	0
10	टीकमगढ़	9	0	0	0
11	छतरपुर	10	2	0	0
12	दमोह	252	1	0	0
13	पन्ना	20	1	0	0
14	सतना	15	0	0	0
15	रीवा	16	1	1	0
16	सीधी	0	0	0	0
17	सिंगरौली	2	0	0	0
18	शहडोल	14	0	0	0
19	अनूपपुर	6	0	1	0
20	उमरिया	19	1	0	0
21	कटनी	14	0	0	0
22	जबलपुर	220	1	0	0
23	डिण्डोरी	33	0	0	0
24	मण्डला	35	0	0	0
25	बालाघाट	35	0	0	0
26	सिवनी	15	0	1	0
27	नरसिंहपुर	0	0	0	0
28	छिन्दवाड़ा	16	3	0	0

29	बैतूल	89	1	0	0
30	हरदा	173	0	0	0
31	नर्मदापुरम	18	2	0	0
32	रायसेन	120	1	1	0
33	विदिशा	18	0	0	0
34	भोपाल	249	1	0	0
35	सीहोर	31	0	0	0
36	राजगढ़	926	0	0	0
37	आगरमालवा	0	0	0	0
38	शाजापुर	208	1	0	0
39	देवास	37	1	0	0
40	खंडवा	63	2	0	0
41	बुरहानपुर	13	0	0	0
42	खरगौन	211	1	0	0
43	बड़वानी	9	0	0	0
44	अलीराजपुर	0	0	0	0
45	झाबुआ	14	1	0	0
46	धार	25	0	0	0
47	इन्दौर	1	0	0	0
48	उज्जैन	612	2	0	0
49	रतलाम	3	0	0	0
50	मंदसौर	31	2	0	0
51	नीमच	9	1	0	0
52	निवाड़ी	0	0	0	0
53	मैहर	8	0	0	0
54	मऊगंज	4	1	0	0
55	पांडुर्णा	12	1	0	0
	योग	5344	34	4	0

टीप:- यदि कोई रिक्ति ऐसी हो जो कि उपरोक्त तालिका में कतिपय कारणों से दर्ज न हो तो, उसे भी अनिवार्यतः शामिल किया जावे।